



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना हल्दौर

दिनांक – 06.09.2024

थाना हल्दौर पुलिस ने मु0अ0सं0 127/2024 धारा 8/15/29/37/60 एनडीपीएस एक्ट के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 04.05.2024 को थाना हल्दौर पुलिस व ANTF यूनिट, जनपद मेरठ द्वारा थाना हल्दौर क्षेत्र में अभियुक्तगणों के कब्जे से 300 कि0ग्रा0 डोडा पोस्त, तीन मोबाइल फोन, दो आधार कार्ड, दो ड्राइविंग लाइसेंस व एक आरसी व एक पैन कार्ड आदि व 2000/- रुपये नकद बरामद होने के सम्बन्ध में उ0नि0 श्री योगेन्द्र सिंह प्रभारी ANTF यूनिट जनपद मेरठ द्वारा थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 127/24 धारा 8/15/29/37/60 एनडीपीएस एक्ट बनाम 1.राशद उर्फ लाल पुत्र इल्यास निवासी ग्राम लाठइदेवा थाना झबरेडा जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड 2.हरजीत पुत्र सूरजमल निवासी ग्राम खेडामुगल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 3.योगेश उर्फ बल्लू पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम खेडामुगल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 4.अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। स्थानीय पुलिस द्वारा दिनांक 04.05.2024 को अभियुक्तगण राशद उर्फ लाल व हरजीत को गिरफ्तार किया जा चुका है।



कार्यवाही –

आज दिनांक 06.09.2024 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त योगेश उर्फ बल्लू पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम खेडामुगल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

योगेश उर्फ बल्लू पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम खेडामुगल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- उ0नि0 श्री योगेन्द्र सिंह प्रभारी ANTF यूनिट जनपद मेरठ मय टीम
- उ0नि0 श्री देवानन्द सैनी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- आरक्षी 347 सचिन देशवाल थाना हल्दौर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना अफजलगढ

दिनांक 06.09.2024

थाना अफजलगढ पुलिस ने दो अभियुक्ताओं को चोरी किये गए पीली धातु के दो जोड़ी कुन्डल सहित गिरफ्तार किया ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 05.09.2024 को कस्बा अफजलगढ निवासी वादीगण 1.मौ0 रियाज पुत्र अब्दुल कदीर व 2.नफीस अहमद पुत्र शमीम अहमद ने थाना अफजलगढ पर तहरीर दी कि अभियुक्ता 1.नूर निशा पत्नी फुरकान व 2.सुमाईला पत्नी इमरान निवासीगण कालागढ थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर द्वारा वादीगण उपरोक्त की कस्बा अफजलगढ स्थित ज्वैलरी की दुकान से एक-एक



जोड़ी सोने के कुन्डल चोरी कर लिये गए, जिन्हे उसी समय तलाश कर वादी मौ0 रियाज द्वारा अपनी पत्नी व स्थानीय लोगो की मदद से चोरी किये गए दो जोड़ी कुन्डल सहित पकडकर थाने लाया गया ।

वादीगण उपरोक्त की तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 297/24 धारा 305(ए)317(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 298/24 धारा 305(ए)317(2) बीएनएस बनाम नूर निशा व सुमाईला उपरोक्त पंजीकृत करते हुए दोनो अभियुक्ताओं को उनसे बरामद हुए 02 जोड़ी कुन्डल सहित गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का नाम व पता –

- 1.नूर निशा पत्नी फुरकान निवासी कालागढ थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 2.सुमाईला पत्नी इमरान निवासी कालागढ थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।

बरामदगी विवरण-

पीली धातु के दो जोड़ी कुन्डल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.एचएम 740 राजबहादुर सिंह थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 2.म0का0 623 शिवानी पुण्डीर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 06.09.2024

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित ।

कार्यवाही:-

दिनांक 03.06.2020 को वादी श्री अमित कुमार पुत्र स्व० राम सिंह निवासी रानीबाग कालोनी कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि वादी की माताजी उर्मिला देवी घर पर अकेली रहती है तथा पैसों का लेन-देन भी करती है । दिनांक 02.06.2020 की सुबह गांव का ही राजकुमार उर्फ रामा पुत्र ब्रह्मपाल सिंह निवासी गारवपुर थाना नहतौर जनपद बिजनौर वादी की माताजी से पैसे उधार लेने आया किन्तु वादी की माता ने मना कर दिया । पैसे न मिलने के कारण राजकुमार उर्फ रामा उपरोक्त ने रात्रि में वादी की माताजी के सिर पर वार कर हत्या कर दी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना थाना नहतौर पर मु०अ०सं० 160/20 धारा 302 भादवि बनाम राजकुमार उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

इस अभियोग में बिजनौर पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की गयी तथा अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 06.09.2024 को मा० न्यायालय ए०डी०जे०-III, जनपद बिजनौर द्वारा धारा 302 भादवि के आरोपी अभियुक्त राजकुमार उर्फ रामा पुत्र ब्रह्मपाल सिंह निवासी गारवपुर थाना नहतौर जनपद बिजनौर को आजीवन कारावास एवं 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता –

राजकुमार उर्फ रामा पुत्र ब्रह्मपाल सिंह निवासी गारवपुर थाना नहतौर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर

दिनांक – 06.09.2024

थाना धामपुर पुलिस ने चोरी की 03 घटनाओं का अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को पीली/सफेद धातू के आभूषण, नगदी व अवैध शस्त्रों सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 22.12.2023 को वादी श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र रामचन्द्र सिंह निवासी फूलबाग कॉलोनी कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 17.12.2023 को वादी तीर्थ यात्रा पर गया था, दिनांक 22.12.2023 को घर आकर देखा तो मेन गेट का ताला टूटा हुआ है तथा अज्ञात चोरों ने वादी के घर से आभूषण, नगदी आदि चोरी कर लिये हैं। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 552/23 धारा 380 / 457 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

दिनांक 22.12.2023 को वादी श्री दयाराम सिंह पुत्र महिपाल सिंह निवासी पुराना धामपुर हुसैनपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने तहरीर दी कि दिनांक 21.12.2023 की रात्रि में अज्ञात चोरों ने वादी के घर से आभूषण, नगदी चोरी कर लिये हैं। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 553/23 धारा 380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

दिनांक 16.03.2024 को वादी ऋषिपाल सिंह पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम मौहडा थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 15/16.03.2024 की रात्रि में अज्ञात चोरों ने वादी के घर से आभूषण, नगदी, मोबाइल फोन आदि चोरी कर लिये हैं। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 110/24 धारा 380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 06.09.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोगों में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.शाहिद उर्फ पप्पी पुत्र मौ0 ताहिर निवासी मौहल्ला कलालान कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर हाल निवासी वार्ड नं0 16 मौ0 किला नजदीक गंगा बाबा रोड काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड 2.गुच्छन पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम अल्हैपुर थाना टांडा जनपद रामपुर 3.सोहित उर्फ शोभित चौहान पुत्र स्व0 अशोक कुमार निवासी मौहल्ला पहाडी दरवाजा कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से एक अवैध पिस्टल 32 बोर व दो मैगजीन, एक अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, एक अवैध चाकू व पीली व सफेद धातु के आभूषण एवं 30,000 /- रुपये की नगदी सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बंध में थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 430/2024 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट बनाम शाहिद आदि उपरोक्त 03 नफर पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

- 1.शाहिद उर्फ पप्पी पुत्र मौ0 ताहिर निवासी मौहल्ला कलालान कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर हाल निवासी वार्ड नं0 16 मौ0 किला नजदीक गंगा बाबा रोड काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड
- 2.गुच्छन पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम अल्हैपुर थाना टांडा जनपद रामपुर
- 3.सोहित उर्फ शोभित चौहान पुत्र स्व0 अशोक कुमार निवासी मौहल्ला पहाडी दरवाजा कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी -

- एक अवैध पिस्टल 32 बोर व दो मैगजीन
एक अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर
एक अवैध चाकू
पीली व सफेद धातु के आभूषण
30,000 /- रुपये की नगदी

अभियुक्त मौ0 शाहिद उर्फ पप्पी का आपराधिक इतिहास -

- 1.मु0अ0सं0 265/18 धारा 307 / 34 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0 266/18 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 3.मु0अ0सं0 251/20 धारा 379 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 4.मु0अ0सं0 484/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 5.मु0अ0सं0 485/20 धारा 420 / 489B / 489C भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 6.मु0अ0सं0 433/20 धारा 380 / 411 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 7.मु0अ0सं0 552/20 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 8.मु0अ0सं0 552/23 धारा 380 / 457 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 9.मु0अ0सं0 553/23 धारा 380 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 10.मु0अ0सं0 110/24 धारा 380 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 11.मु0अ0सं0 430/2024 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना धामपुर जनपद बिजनौर

अभियुक्त गुच्छन का आपराधिक इतिहास -

- 1.मु0अ0सं0 552/23 धारा 380 / 457 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0 553/23 धारा 380 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 3.मु0अ0सं0 110/24 धारा 380 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 4.मु0अ0सं0 430/2024 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना धामपुर जनपद बिजनौर

अभियुक्त सोहित का आपराधिक इतिहास -

- 1.मु0अ0सं0 552/23 धारा 380 / 457 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0 553/23 धारा 380 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 3.मु0अ0सं0 110/24 धारा 380 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 4.मु0अ0सं0 430/2024 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना धामपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

- 1-उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 2-उ0नि0 पवन सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 3-हे0कां0 645 प्रदीप कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 4-कां0 2179 सौरभ कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना मण्डावली

दिनांक 06.09.2024

थाना मण्डावली पुलिस ने मु0अ0सं0 113/24 धारा 302/201 भादवि में वांछित दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 23.07.2024 वादी मुस्तफा रोशनदीन निवासी रानी नंगला छजमलवाला थाना रेहड जनपद बिजनौर ने थाना मण्डावली पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण मौ0 आलम पुत्र गुलाब नबी निवासी ताहरपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर, 2.कासम पुत्र इल्मुद्दीन निवासी कोटद्वार पौडी गढवाल उत्तराखण्ड, 3.रफी पुत्र आलमगीर निवासी चतरूवाला थाना नजीबाबाद



जनपद बिजनौर व 4.अ0 गनी पुत्र यामीन निवासी नीम वाला जंगल थाना मंडावली जनपद बिजनौर ने एक राय होकर रंजिश के चलते वादी की बहन मरियम की हत्या कर दी ।

तहरीर के आधार पर थाना मण्डावली पर मु0अ0सं0 113/24 धारा 302/201 भादवि बनाम मौ आलम सहित 04 नफर उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही –

थाना मण्डावली पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.गनी पुत्र यामीन निवासी नीमवाली थाना मण्डावली जनपद बिजनौर व 2.कासम पुत्र इल्मुद्दीन निवासी ध्रुवपुर उर्फ लालपुर घराट जंगल डेरा थाना कोटद्वार जनपद पौडी गढवाल उत्तराखण्ड को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण की निशांदाही पर हत्या की घटना में प्रयुक्त लकड़ी के डन्डे को बरामद किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्तगण से की गई पूछताछ के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आये कि मरियम (वादी की मृतक बहन) के पति यामीन की 05 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई थी जिसके बाद मरियम के देवर कासम पुत्र इल्मुद्दीन ने मरियम के सामने शादी का प्रस्ताव रखा जो मरियम ने ठुकरा दिया । इसके पश्चात मरियम ने घरवालो व अन्य किसी को बताये बिना चोरी छिपे दूसरी जाति के कासिम पुत्र वजीर अली निवासी ग्राम ठण्डा सोत जंगल डेरा थाना मण्डावली जनपद बिजनौर से शादी कर ली । इस बात की जानकारी जब मरियम के पूर्व पति यामीन के पुत्र गनी व कासम (मरियम का देवर) को हुई तो वे दोनो मरियम से ईर्ष्या रखने लगे तथा दिनांक 12.06.2024 की रात्रि में उन्होने मरियम उपरोक्त को नीम वाले जंगल में डेरे पर बुलाया जहां पर

शादी की बात पूछने पर मरियम अपने बेटे गनी (पूर्व पति यामीन का बेटा) से झगडा कर वहां से जाने लगी तो गनी ने मरियम को पकड लिया तथा कासम उपरोक्त ने वहीं पर पडे लकडी के डन्डे से मरियम के सिर पर वार कर दिया जिससे वह वही पर गिर गई तथा उसकी मृत्यु हो गई। सुबह होने पर आसपास के लोगो व रिश्तेदारो के पूछने पर अभियुक्तगण गनी व कासम उपरोक्त ने मरियम द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने की बात फैलाकर जल्दी-जल्दी मे मरियम के शव को जंगल के कब्रिस्तान मे दफना दिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.गनी पुत्र यामीन निवासी नीमवाली थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।
- 2.कासम पुत्र इल्मुद्दीन निवासी ध्रुवपुर उर्फ लालपुर घराट जंगल डेरा थाना कोटद्वार जनपद पौडी गढवाल उत्तराखण्ड।

बरामदगी विवरण-

घटना में प्रयुक्त लकडी का डन्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1-थाना प्रभारी शैलेन्द्र सिंह चौहान थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।
- 2-उ0नि0 श्री सचिन तोमर थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।
- 3-हे0का0 83 अमित कुमार थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।
- 4-का0 311 कृष्ण कुमार थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।
- 5-का0 1380 इमरान खान थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 06.09.2024

जनपदीय पुलिस द्वारा 06 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 06 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	नजीबाबाद	अमित वर्मा पुत्र वाल किशन निवासी मौ० वाहिद नगर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2	नजीबाबाद	आनन्द पुत्र सुक्खे नि० मौ० किला साहनपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
3	हल्दौर	पिन्टू पुत्र प्रहलाद निवासी ग्राम ताहरपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
4	स्योहारा	दिनेश पुत्र छोटे सिंह नि० मौ० तकीसराय थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
5	रेहड	शीशराम पुत्र शम्भू निवासी ग्राम केहरीपुर थाना रेहड जनपद बिजनौर
6	रेहड	तहेन्द्र पुत्र रामेश्वर निवासी ग्राम व थाना रेहड जनपद बिजनौर



थाना नजीबाबाद



थाना नजीबाबाद



थाना हल्दौर



थाना स्योहारा



थाना रेहड



थाना रेहड



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नहतौर

दिनांक 06-09-2024

थाना नहतौर पुलिस द्वारा अभियुक्त को एक अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन तथा अपने साथ अवैध शस्त्रों को रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.09.2024 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा अभियुक्त तालीब पुत्र मुजाबिर निवासी ग्राम सिकरी बुजुर्ग थाना नहतौर जनपद बिजनौर को 01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 316/2024 धारा 4/25 आयुध अधिनियम बनाम तालीब उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

तालीब पुत्र मुजाबिर निवासी ग्राम सिकरी बुजुर्ग थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।

बरामदगी का विवरण:-

01 अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. का0 2159 आकाश यादव थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।
2. का0 1276 राहुल यादव थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना शेरकोट

दिनांक 06.09.2024

**थाना शेरकोट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 162/2024 धारा 74 बी0एन0एस0 व धारा 7/8
पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 09.08.2024 को वादिनी द्वारा थाना शेरकोट पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 08.08.2024 की रात्रि में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसकी पुत्री के साथ अश्लील हरकत की गयी । जिस सम्बन्ध में तहरीर के आधार पर थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 162/2024 धारा 74 बी0एन0एस0 व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।

विवेचनात्मक कार्यवाही व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियोग में अभियुक्त रिहान पुत्र निवासी मौ0 नौधना कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 06.09.2024 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रिहान पुत्र निवासी मौ0 नौधना कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रिहान पुत्र निवासी मौ0 नौधना कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1- उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 2- का0 81 नितिन कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट - थाना धामपुर

दिनांक 06.09.2024

थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 425/24 धारा 74/351(3) बीएनएस व धारा 7/8
पॉक्सो अधिनियम में वांछित तीन अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 05.09.2024 को वादिनी ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त फरदीन पुत्र तहसीन निवासी मौ0 नई सराय कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी की धेवती के साथ छेडछाड की गई तथा उसके परिजनो को जान से मारने की धमकी दी गई । इस संबंध में थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 425/24 धारा 74/351(3) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया ।



अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्तगण 1.मौ0 रिहान पुत्र सईद अहमद, 2.सुल्तान पुत्र खुर्शीद अहमद निवासीगण मौहल्ला मोहम्मदपुर अलीपुर भिककन नीन्दडू खास थाना धामपुर जनपद बिजनौर, 3.मौ0 आफताब पुत्र खुर्शीद अहमद निवासी मौ0 नई बस्ती नई सराय थाना धामपुर जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आये ।

कार्यवाही –

आज दिनांक 06.09.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.मौ0 रिहान पुत्र सईद अहमद, 2.सुल्तान पुत्र खुर्शीद अहमद निवासीगण मौहल्ला मोहम्मदपुर अलीपुर भिककन नीन्दडू खास थाना धामपुर जनपद बिजनौर, 3.मौ0 आफताब पुत्र खुर्शीद अहमद निवासी मौ0 नई बस्ती नई सराय थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

नोट- थाना धामपुर पुलिस द्वारा अभियोग में नामजद अभियुक्त फरदीन पुत्र तहसीन निवासी मौ0 नई सराय कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर को दिनांक 05.09.2024 को ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.मौ0 रिहान पुत्र सईद अहमद निवासी मौ0 मोहम्मदपुर अलीपुर भिककन नीन्दडू खास थाना धामपुर जनपद बिजनौर

2. सुल्तान पुत्र खुर्शीद अहमद निवासी मौ० मोहम्मदपुर अलीपुर भिक्कन नीन्दडू खास थाना धामपुर जनपद बिजनौर

3. मौ० आफताब पुत्र खुर्शीद अहमद निवासी मौ० नई बस्ती नई सराय थाना धामपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- उ०नि० श्री संजय कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर

2- हे०का० 201 भूप सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर

3- हे०का० 195 लालमन थाना धामपुर जनपद बिजनौर

4- का० 12 अजयपाल थाना धामपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नूरपुर

दिनांक 06.09.2024

थाना नूरपुर पुलिस ने दो अभियुक्तों को चोरी की एक ई-रिक्शा, चार बैटरे व अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही विवरण –

थाना नूरपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1.अरबाज अलवी पुत्र अबरार अलवी निवासी ग्राम रसूलपुर मौहम्मद कुली उर्फ मलकपुर बुढेरन थाना स्योहारा जनपद बिजनौर व 2.माज अंसारी पुत्र शमशाद निवासी ग्राम सद्दोबेर उर्फ बेरखां थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की एक ई-रिक्शा, चार बैटरे व प्रत्येक के कब्जे से एक-एक अवैध चाकू बरामद किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण के अन्य दो साथी 1. मौबीन अन्सारी पुत्र मुसलमीन 2.उदित राणा पुत्र नरेश निवासीगण ग्राम सद्दोबेर उर्फ बेरखाम थाना स्योहारा जनपद बिजनौर मौके से फरार हो गए । जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं । इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 349/2024 धारा 317(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



उल्लेखनीय है कि अभियुक्तों के कब्जे से बरामद की गई ई-रिक्शा की चोरी के संबंध में थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 441/2024 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है ।

अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.अरबाज अलवी पुत्र अबरार अलवी निवासी ग्राम रसूलपुर मौहम्मद कुली उर्फ मलकपुर बुढेरन थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 2.माज अंसारी पुत्र शमशाद निवासी ग्राम सद्दोबेर उर्फ बेरखां थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण-

1. एक ई-रिक्शा मय चार बैटरे ।
2. दोनो अभियुक्तो के कब्जे से एक-एक अवैध चाकू ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अरबाज अलवी उपरोक्त –

1. मु0अ0सं0 441/2024 धारा 303(2)बीएनएस थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 349/2024 धारा 317(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त माज अंसारी उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 441/2024 धारा 303(2)बीएनएस थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 349/2024 धारा 317(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

पुलिस टीम का विवरण

1. उ0नि0 श्री सुशील पंवार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
2. का0 1978 अरविन्द कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
3. का0 180 अरविन्द कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
4. का0 622 सुशील कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।